कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा (म0प्र0)

विविध आदेश

क्रमांक 63 / रीवा, दिनांक 15/04/2024

दो–15–3/90

01. पंचम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा की न्यायालय वर्तमान में रिक्त होने तथा श्री दिलीप महोर, नवम् व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा को 15 दिवस मनगवॉ श्रृंखला न्यायालय में बैठक हेतु अधिसूचित किये जाने फलस्वरूप सिविल प्रकिया संहिता की धारा 24 में प्रदत्त शक्तिओं का प्रयोग करते हुये कॉलम नं. 2 में दर्शित न्यायालय से कॉलम नं. 3 में दर्शित सूची अनुसार सिविल प्रकरणों को वापस लिया जाकर विधि अनुसार निराकरण हेतु कॉलम नं. 04 में दर्शित न्यायालय में अंतरित किये जाते है :–

क्र.	न्यायालय का नाम जहां से प्रकरण की सूची प्राप्त हुई है	प्रकरणों का प्रकार एवं सूची कमांक	प्रकरण जिस न्यायालय को स्थानांतरित किया गया है
1	2	3	4
01	पंचम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा (रिक्त न्यायालय)	सिविल प्रकरण कमांक 01 से 150 तक	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा
		1. सिविल प्रकरण कमांक 151 से 258 तक 2. अपंजीकरण प्रकरण कमांक 01 से 16 तक	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा
02	श्रृखंला न्यायालय मनगंवा, जिला रीवा	सिविल प्रकरण कमांक 01 से 22 तक	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश

02. श्री संतोष चौहान जिला न्यायाधीश सिरमौर के न्यायालय में लंबित नियमित सिविल अपील प्रकरण कमांक 600044/2018 राजेन्द्र वगैरह विरूद्ध रामकली वगैरह तथा श्री संजय वर्मा जिला न्यायाधीश सिरमौर के अतिरिक्त न्यायाधीश के न्यायालय में लंबित एमजेसी प्रकरण कमांक 108/2021 राजेन्द्र वगैरह विरूद्ध रामकली वगैरह समान पक्षकारों के मध्य एक ही विषयवस्तु से उत्पन्न सिविल प्रकरण होने के फलस्वरूप सिविल प्रकिया संहिता की धारा 24 में प्रदत्त शक्तिओं का प्रयोग करते हुये श्री संजय वर्मा जिला न्यायाधीश सिरमौर के अतिरिक्त न्यायाधीश के न्यायालय में लंबित एमजेसी प्रकरण कमांक 108/2021 राजेन्द्र वगैरह विरूद्ध रामकली वगैरह को उनकी न्यायालय से वापस लिया जाकर विधि अनुसार निराकरण हेतु श्री संतोष चौहान जिला न्यायाधीश सिरमौर के न्यायालय में अंतरित किया जाता है।

03. कार्यालय विविध आदेश क0 58 दिनांक 08.04.24 में आंशिक संशोधन करते हुये श्री दिलीप सिंह ग्यारहवें जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा प्रेषित क्लेम प्रकरणों के अंतरण योग्य सूची के सरल कमांक 07 पर अंकित एम0जे0सी0एम.ए.सी.सी. 656/22 पार्वती तिवारी विरूद्ध अवध नारायण सिंह प्रकरण का 15 वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की न्यायालय में हुए अंतरण को निरस्त किया जाता है।

04. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश के न्यायालय में आर.सी.एस.ए. 02/12 रामलौटन विरूद्ध इन्द्रजीत एवं आर.सी.एस.ए. 119/12 रामकृपाल विरूद्ध राम सजीवन 100 लिस्टेड प्रकरण की सूची में सम्मिलित होने के कारण कार्यालय विविध आदेश क0 58 दिनांक 08.04.24 में आंशिक संशोधन किया जाकर सिविल प्रकिया संहिता की धारा 24 में प्रदत्त शक्तिओं का प्रयोग करते हुये आर.सी.एस.ए. 02/12 रामलौटन विरूद्ध इन्द्रजीत एवं आर.सी.एस.ए. 119/12 रामकृपाल विरूद्ध राम सजीवन को द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा की न्यायालय से वापस लिया जाकर विधि अनुसार निराकरण हेतु प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश के न्यायालय में अंतरित किये जाते है।

(सुबोध कुमार जैन)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा (म0प्र0)

पृष्ठांकन कमांक 1925 / दो–15–3 / 90 रीवा, दिनांक 15 / 04 / 2024

प्रतिलिपिः–

1. ग्यारहवें / 15 वें, जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा।
2. अतिरिक्त / जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिरमौर।
3. प्रथम / तृतीय / पंचम / चतुर्थ अति. / श्रृंखला न्यायालय, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, रीवा / मनगवां।
4. द्वितीय / नवम्, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा।
5. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश रीवा।

   को निर्देशित किया जाता है कि सूची अनुसार प्रकरण यथाशीघ्र संबंधित न्यायालय की / से ओर प्रेषित / प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

6. अध्यक्ष अधिवक्ता संघ, रीवा / मंनगवां / सिरमौर।
7. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एव सत्र न्यायाधीश रीवा।
8. जू0सि0ए0 / डी.एस.ए., कम्प्यूटर अनुभाग रीवा।

की ओर सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)